

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

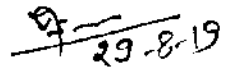
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1710 /2019 दिनांक : 29.08.2019

श्री नरेन्द्रसिंह मालावत (RJ1032), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर को दिनांक 11.09.2019 से 13.09.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 10.09.2019 एवं 14.09.2019 से 15.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री मालावत की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



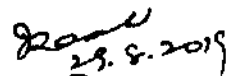
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/19/2016/8646

दिनांक : 29.08.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर को उनके पत्रांक 319 दिनांक 16.08.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री नरेन्द्रसिंह मालावत (RJ1032), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर ।


29.8.2019
सहायक रजिस्ट्रार